CNR-UPLL010025092023

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.), ललितपुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुनील सिंह)

विविध वाद संख्या- 619/2023

खेत सिंह कुशवाहा बनाम नन्दराम आदि।

18.07.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सविस्तार सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

2. परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि परिवादी एवं मुलजिम सं. 1 लगायत 6 एक ही गाँव ग्राम-बिजरौठा, मजरा-बरपोखर, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर के निवासी है तथा मुलजिम सं. 7 लगायत 11 ग्राम पवा, मजरा बीच का पुरा, तथा मुलजिम सं. 12 ग्राम दिगारा, थाना तालबेहट, जिला ललितपुर के निवासी है तथा मुलजिम सं. 1 लगायत 6 के सहयोगी व रिस्तेदार है और आपस में मिलकर एक नाजायज गिरोह बनाये हुए है। दिनाँक 27-07-2023 को समय करीब 8:00 बजे रात परिवादी अपने घर के अन्दर लाईट की रोशनी में लेटा था कि उसी समय मुलजिमान नन्दराम, मनीराम पुत्रगण जस्सू, अजय, फूलचन्द, रामकुमार पुत्रगण नन्दराम, श्रीमती जामवती पत्नी नन्दराम निवासीगण ग्राम बिजरौठा, मजरा बरपोखर, थाना तालबेहट एवं राजाराम, लक्ष्मन पुत्रगण श्रीपत, दिनेश, सुरेश पुत्रगण रामसेवक, रामस्वरूप तनय कम्मोद निवासी ग्राम पवा, मजरा बीच का पुरा तालबेहट, थाना तालबेहट, राकेश तनय मनू निवासी ग्राम दिगारा, थाना तालबेहट जिला ललितपुर अपने हाथों में कुल्हाड़ी, फरसा, व मनीराम व अजय अपने हाथों में कट्टा लिये आये और परिवादी के गेट में कुल्हाडी मारते हुए गेट तोड़कर घर के अन्दर घुस आये और बुरी-बुरी गालियाँ देते हुए बोले कि साले तुझसे कई बार कहा कि तू पुरानी बाखरवाला मकान छोड़ दें। परिवादी ने कहा कि मेरे हिस्से का मकान है। और मैं कैसे छोड़ दूँ, तो इसी बात पर उक्त सभी मुल्जिमान एक राय होकर बोले कि तू 1,00,000/- रूपया दें। परिवादी ने मना किया तो उक्त मुल्जिमान बोले कि इस साले को लूट लो और परिवादी के साथ मारपीट करने लगे व मनीराम, अजय ने परिवादी की छाती पर कट्टा लगा दिया और कहा कि शोर किया तो जान से मार देंगे और उक्त मुल्जिमानों ने परिवादी के घर में रखे बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे जेवरात चाँदी की करदौनी, चाँदी की पायल वजनी करीब एक किलोग्राम सोने की लरलरी व सोने का मंगलसूत्र वजनी करीब 3

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.07.18 16:20:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तौला व 20,000/- रूपया नगद लूट लिये। शोर सुनकर परिवादी की पत्नी श्रीमती रामसखी आयी तो उसकी उक्त मुलजिमानों ने मारपीट की व साड़ी खींचकर निर्वस्त्र कर दिया और कहा कि साली की बेइज़्ज़ती कर दो। घर में रखे बर्तन व घर के खपरा तोड़ दिये व घर के अन्दर रखी खॉट (चारपाई) में आग लगा दी, इतने में परिवादी का पुत्र नीरज तनय खेतसिंह, व परिवादी के पिता जस्सू तनय मोहन व अन्य लोग आ गये, जिन्होंने उक्त मुलजिमानों को ललकारा व घटना देखी। तो उक्त मुलजिमानों ने नीरज की मारपीट की और परिवादी का जेवरात व रूपये लूटकर भाग गये तथा मनीराम कट्टे से जान से मारने की धमकी देते हुए कहता गया कि यदि पीछा किया या कोई कार्यवाही की, तो जान से खत्म कर देंगे। जिसकी सूचना परिवादी ने थाने पर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त मुलजिमान अभी भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कोई भी गम्भीर घटना कारित करने की फिराक में है। परिवादी ने उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक ललितपुर को स्वयं उपस्थित होकर एवं जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनॅक 29-07-2023 को दी, किन्तु पुलिस थाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विपक्षीगण उपरोक्त को तलब किया जाकर दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

3. परिवादी का धारा 200 CrPC के अन्तर्गत परीक्षण किया गया और दो अन्य गवाह पी.डब्लू. 1 नीरज, गवाह पी.डब्लू. 2 श्रीमती रामसखी का धारा 202 CrPC के अन्तर्गत परीक्षण किया गया।

4. परिवादी द्वारा अपने बयान u/s 200 CrPC में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 27.07.2023 समय रात के 8 बजे की है। मैं अपने घर पर था। नन्दराम, मनीराम, अजय, मूलचन्द, रामकुमार, दिनेश, सुरेश, लक्ष्मण राकेश, जामवती आये और मारने के लिये आये थे। इन लोगों ने मारपीट की। बक्से का ताला तोड़कर सोना चांदी ले गये। बर्तन तोड़ दिये, खटिया में आग लगायी। शोर सुनकर नीरज और रामसखी आये, ये लोग उनको देखकर भाग गये। इन लोगों ने मेरा शामिल खाते का मकान छीन लिया है और मुझे उसमें नहीं जाने देते। इसी न्यायालय में जामवती ने मेरे विरुद्ध मुकदा कर रखा है। मैंने एक मुकदमा श्रीमती रामसखी के नाम से कर रखा है। उन लोगों ने मेरे विरुद्ध 2 मुकदमें कर रखे हैं।

5. पी.डब्लू. 1 ने अपने बयान u/s 202 CrPC में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 27.07.2023 के समय रात 8 बजे की है। मेरे पित जी घर पर सो रहे थे, उसी समय गांव के नन्दराम, मनीराम, अजय, फूलचन्द, रामकुमार, राकेश, दिनेश, सुरेश, रामस्वरूप, राजाराम, लक्ष्मन व जामवती हाथो में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर आये, जिनमें मनीराम हाथ में कट्टा लिये था। उक्त लोगो ने लाठी से मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर में अन्दर उक्त लोग पुराने बाखर वाले मकान को जबरदस्ती छीननने की बात कहने लगे और एक लाख रुपये माँगने लगे, जब मेरे पिता ने मना किया तो उक्त लोग एकराय होकर बक्से का ताला तोड़ दिया, उसमें आधा किलो वजनी करदौनी व पायले जो आधा किलो की थी, लल्लरी, मंगलसूत्र सोने का वजन तीन तोला व बीस हजार रुपये लूट लिये। चारपाई में आग लगा दी, घर के बर्तन तोड़ दिये। चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं व रामसखी व जस्सू व मुहल्ले के अन्य लोग मौके पर पहुँचे और बीच-बचाव किया और घटना देखी। उक्त लोगो को हम लोगों ने ललकारा तो उक्त लोग लूटा हुआ सामान लेकर भाग गये और धमकी देते गये कि कहीं रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे। पी.डब्लू. 2 ने अपने बयान u/s 202 CrPC में कथन किया गया है कि दिनांक

27.07.2023 के रात 8 बजे की बात है। मैं अपने घर पर थी, मेरे पति सो रहे थे, उसी समय गांव नन्दराम, मनीराम, अजय, फूलचंद, रामकुमार, राकेश, दिनेश, सुरेश, रामस्वरूप, राजाराम, लक्ष्मन व जामवती अपने हाथों में लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी लेकर आये और मनीराम कट्टा लिये थे। इन लोगों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया और घर में घुसकर एक लाख रुपये मागने लगे, विरोध पर सबने घर में रखा बक्सा तोड़ दिया और बक्से से 500 ग्राम करदौनी 500 ग्राम की पायलें, सोने की लल्लरी, मंगलसूत्र बीस हजार रुपये लूट लिये। घर के बर्तन तोड़ दिये व चारपाई में आग लगा दी। हम लोगों के चिल्लाने पर लड़का नीरज व जस्सू आ गया था। उक्त लोग जेवरात व रूपये लेकर धमकी देते हुए चले गये।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित दिनांक, समय, स्थान परिवादी के घर पर हाथ में कुल्हाड़ी, फरसा, कट्टा लिये गेट को कुल्हाड़ी से तोड़कर घुसकर गालियां देना, और कट्टे से जान से मारने की धमकी देते हुए बक्से का ताला तोड़कर उसमें से चांदी की करदौनी, चांदी की पायल, सोने की लरलरी व सोने का मंगलसूत्र व 20,000/- रुपये नगद लूटना, मारपीट करना, साड़ी खींचकर बेइज़्ज़त करना, चारपाई में आग लगाना, छपरा तोड़ना अभिकथित है। परिवादी द्वारा लूट के रूपये एवं जेवरात के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। परिवादी द्वारा मौके पर पुलिस को डायल 112 नंबर पर सूचित क्यों नहीं किया गया। मामले में एक महिला द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर पहुँचकर लूट की घटना कारित किया जाना अस्वाभाविक प्रतीत हो रहा है, जबकि सामान्यतः महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। घटना का कोई हेतुक नहीं है। परिवादी द्वारा उसके व उसके परिजन के साथ मारपीट कर चोटें कारित करना कहा है, किन्तु उसके द्वारा कोई चिकित्सीय प्रपत्र इत्यादि दाखिल नहीं किया गया है, न ही चोटों की प्रकृति को स्पष्ट किया है, जबकि 12 व्यक्ति किसी के साथ मारपीट करें तो चोटें आना स्वाभाविक है। परिवादी द्वारा पत्रावली चोटिलयुक्त दो व्यक्तियों के जंगल में खड़े हुए वाले दो फोटोग्राफ दाखिल किये गये हैं, जबकि घटना परिवादी के घर की बतायी गयी है, साथ ही उस फोटोग्राफ में कोई व्यक्ति उन चोटिल के साथ मारपीट करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अतिरिक्त लूट के रूपये एवं जेवरात के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित रुपये परिवादी कहाँ से लाये थे, और उसमें नोट कितने-कितने रुपये के थे और जेवरात का वजन क्या था, स्पष्ट नहीं किया गया है। पी.डब्लू. 1, 2 गवाह ने बयान में परिवादी के साथ मारपीट का कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे गवाहों की मौके की उपस्थिति संदिग्ध है। परिवादी द्वारा अभियुक्तगण द्वारा कुल्हाड़ी से गेट को काटने की स्थिति का फोटो एवं छपरे में आग लगी का फोटो भी दाखिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मामले के गवाह जस्सू को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। उपरोक्त से परिवादी द्वारा आपसी रंजिशन उक्त लूट की घटना बनाकर परिवाद दाखिल किया जाना प्रतीत होता है। गवाहों द्वारा किये गये अन्तर्विरोधाभासी कथनों से एवं अन्य तथ्यों से कथानक संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त किसी भी पक्षकार के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण प्रारम्भ करना एक गम्भीर व संवेदनशील विषय है जिसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता।

7. अतः धारा 200 CrPC के अन्तर्गत दर्ज किए गए परिवादी के बयान एवं धारा 202 CrPC के अन्तर्गत दर्ज किए गए गवाहों के बयान के आलोक में अभियुक्तगण नन्दराम, मनीराम, अजय, फूलचन्द, रामकुमार, श्रीमती जामवती, राजाराम, लक्ष्मन, दिनेश, सुरेश, रामस्वरूप, राकेश के विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया बनना प्रतीत नहीं होता है। परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद धारा 203 CrPC में निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक **18.07.2026**

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०)
ललितपुर।